-:प्रेस नोट:-

दिनांक- 16.10.2025

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

❖ **थाना अतर्रा पुलिस द्वारा अवैध पटाखों का निर्माण और बिक्री करने वाले अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार, अभियुक्त के कब्जे से लगभग 167 किलोग्राम अवैध पटाखा सामग्री बरामद । सतना (म0प्र0) से अवैध पटाखे लाकर बांदा में बिक्री की फिराक में था अभियुक्त।**

विवरण- पुलिस अधीक्षक बांदा श्री पलाश बंसल के निर्देशन में जनपद में सुरक्षित सौम्य एवं दुर्घटनारहित दीपावली सम्पन्न कराए जाने के उद्देश्य से जनपद में अवैध पटाखों का निर्माण, संग्रहण व बिक्री करने वालों के विरुद्ध बांदा पुलिस द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है इसी क्रम में क्षेत्राधिकारी अतर्रा श्री प्रवीण कुमार के नेतृत्व में थाना अतर्रा पुलिस द्वारा आज दिनांक 16.10.2025 को भारी मात्रा में अवैध पटाखे बरामद करते हुए एक अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया। गौरतलब हो कि आज दिनांक 16.10.2025 को प्रभारी निरीक्षक अतर्रा श्री ऋशिदेव सिंह व उनकी टीम द्वारा अवैध पटाखों का निर्माण संग्रहण व बिक्री करने वालों की लोकल स्तर पर सूचना संकलित की जा रही थी, इसी दौरान पुलिस टीम को सूचना मिली कि एक बिना नम्बर प्लेट की बोलेरो में बड़े-बड़े पैकटों में अवैध पटाखे लादकर जा रहा है, पुलिस टीम द्वारा बबेरु बस स्टैण्ड मोबाइल वाली गली के पास वाहन को रोककर चेकिंग की गई तो 06 बड़े गत्तों लगभग 167 किलोग्राम वजन के अवैध पटाखों के साथ एक अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ में अभियुक्त द्वारा बताया गया कि वह सतना से अवैध पटाखे लाकर बांदा में बेचने के फिराक में था। परिवहन में प्रयुक्त वाहन को कब्जे में लेते हुए सीज कर दिया गया है। मौके पर फील्ड यूनिट तथा बम डिस्पोजल टीम द्वारा बारुद का नमूना लेते हुए आवश्यक कार्यवाही की गई।

बरामदगी-

- लगभग 167 किलोग्राम वजन के अवैध पटाखे/पटाखा सामग्री
- परिवहन में प्रयुक्त बोलेरो

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. जगदीश पुत्र भगवानदीन नि0 मुहल्ला लख्मी थोक कस्बा व थाना बिसण्डा जनपद बांदा।

पंजीकृत अभियोग-

- मु0अ0सं0 368/2025 भारतीय न्याय संहिता की धारा 287 बीएनएस तथा विस्फोटक अधिनियम 1984 की धारा 5/9B(1)b थाना अतर्रा जनपद बांदा।

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

1. व0उ0नि0 प्रेमपाल सिंह
2. कस्बा चौकी प्रभारी उ0नि0 मणिशंकर मिश्रा
3. कां0 मनोज कुमार